www.shriramedu.com
✆ 9414015200
श्रीराम कॉम्पिटिशन क्लासेज प्रा.लि. सीकर
An ideal institute for Competitive Exams
हैड ऑफिस: भाटी मेंशन, बजाज रोड, सीकर ✆ 01572-254777
HAND WRITTEN Classroom Coaching NOTES
Best Faculty Team + Super Coaching System + Personal care = श्रीराम कोचिंग, सीकर

विषय :- राजनीति विज्ञान

I-Grade Teacher

संविधान की प्रस्तावना (उद्देशिका)/Preamble :

* हम भारत के लोग .... अंगीकृत, अधिनियमित व आत्मार्पित करते हैं।
* शब्दों के क्रम - सम्पूर्ण प्रभुत्वसम्पन्न, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक, गणराज्य
* शब्दों के क्रम - सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय
* शब्दों के क्रम - विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म व उपासना की स्वतंत्रता
* शब्दों के क्रम - प्रतिष्ठा व अवसर की समानता, व्यक्ति की गरिमा, राष्ट्र की एकता व अखण्डता, बंधुता
* शब्दों के क्रम - 26 नवंबर 1949, अंगीकृत, अधिनियमित, आत्मार्पित
* हम भारत के लोग → UNO के चार्टर से, संविधान शक्ति का अंतिम स्रोत जनता है।
* प्रस्तावना के 4 मूल तत्व :
  1.) संविधान की शक्ति का स्रोत देश की जनता है।
  2.) भारत की प्रकृति - प्रभुत्व सम्पन्न, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य है।
  3.) संविधान का उद्देश्य - न्याय, स्वतंत्रता, समता व बन्धुत्व।
  4.) संविधान 26 नवंबर 1949 को जनता ने अपनाया।

विश्व मे प्रस्तावना :

* सर्वप्रथम अमेरिकी संविधान मे जोडी
* भारतीय संविधान मे प्रस्तावना अमेरिका से ली है।
* प्रस्तावना की भाषा शैली ऑस्ट्रेलिया से ली है।
* प्रस्तावना पं. नेहरू के उद्देश्य प्रस्ताव (13 दिसं. 1946) पर आधारित है।
*

प्रस्तावना के सम्बन्ध मे विभिन्न मत :

* एन. ए. पालकीवाला - "संविधान का परिचय पत्र" (उद्देश्य प्रस्ताव को)
* पं. जवाहर लाल नेहरू - "संविधान की आत्मा" (ठाकुरदास भार्गव ने भी यही कहा है)
* के. एम. मुंशी - "संविधान का राजनीतिक भविष्य"
* अर्नेस्ट बारकर - "संविधान की कुंजी"
* ग्रेनविल ऑस्टिन - "संविधान की कुंजी"

प्रस्तावना मे संशोधन :

* केवल एक बार 42 वाँ संविधान संशोधन -1976 हुआ → तीन शब्द जोडे
  - पंथ निरपेक्षता, समाजवाद, अखण्डता

प्रस्तावना पर विश्व की तीन महान क्रांतियो का प्रभाव :

1. अमेरिकी क्रांति (1776) - राजनीतिक व व्यक्तिगत स्वतंत्रता
2. फ्रांसीसी क्रांति - (1789) - स्वतंत्रता, समानता, बन्धुता
3. रूसी क्रांति - (1917) - आर्थिक समानता का आदर्श

प्रस्तावना सम्बन्धी विवाद

* यूनियन ऑफ इंडिया बनाम मदन गोपाल (1957) - प्रस्तावना के शब्द अत्यधिक पवित्र होते हुए भी न्यायालय में प्रवर्तनीय नहीं हैं।

* बेरुबाड़ी यूनियन वाद (1960) - सर्वोच्च न्यायालय → जहाँ संविधान की भाषा संदिग्ध हो, वहां प्रस्तावना कानूनी निर्वचन में सहायक है। लेकिन प्रस्तावना संविधान का हिस्सा नहीं है। इसलिए संसद इसमें संशोधन नहीं कर सकती।

* केशवानंद भारती वाद (1973) - सर्वोच्च न्यायालय → प्रस्तावना संविधान का हिस्सा है तथा संसद इसमें संशोधन कर सकती है लेकिन संविधान का मूल ढांचे में नहीं

* न्यायमूर्ति गजेन्द्र गडकर - "प्रस्तावना अपने आप में न तो शासन की शक्ति का एक स्रोत है, न ही शासन को किसी शक्ति से वंचित करने का साधन।"